# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

**प्रार्थी** श्री अम्बालाल  
**कस्म मुकदमा** धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम

**विपक्षी** सरकार  
**प्रकरण संख्या** 79/2024

कार्यवाही विवरण

—::निर्णय::—

दिनांक 15/01/25

**उपस्थितः–** श्री राकेश प्रजापत अधवक्ता–प्रार्थी  
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि मौजा हर पटवार हल्का बनोडा तहसील झल्लारा मे प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसकी खाता संख्या 2 आराजी नम्बर 1059/107, 1856/289, 192, 1922/288, 198 कुल किता 05 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खाता संख्या 138 आराजी नम्बर 1924/289 कुल किता 01 रकबा 2.3215 हैक्टेयर व खाता संख्या 107 आराजी नम्बर 158, 159, 160, 161 कुल किता 04 रकबा 0.63 हैक्टेयर है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि का सीमांकन नहीं होने की वजह से प्रार्थी व पडौसी खातेदारो के बीच सीमा को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त सीमांकन व पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थी अपने खेता में पक्की कोट या बाड भी नही कर सक रहा है। पडौसियों की भूमि प्रार्थी के पास में आ जाने की वजह से वह जानबुझकर प्रार्थी को परेशान कर रहे है और उनकी भूमि की बाड कोट को तोडकर खेत में अपने मवेशी घुसा देते है जिससे प्रार्थी की बोई फसल नष्ट हो जाती है और प्रार्थी को भारी नुकसान उठाना पडता है। प्रार्थना पत्र कारण अन्तिम बार दिनांक 15–12–2024 को तब उत्पन्न हुआ जब पडौसी आराजीयात के स्वामियों ने आपसी सहमति से सीमांकन करा पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया और प्रार्थी के खेता की बाड–कोट तोडने लगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी के आराजीयात पर पत्थरगढी का निर्णय पारित किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी का आदेश फरमावे जाने का निवेदन किया। विपक्षी की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी अपने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर  
जिला सलूम्बर

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

**प्रार्थी** श्री अम्बालाल | **विपक्षी** सरकार

**कस्म मुकदमा** धारा– 128 भू–राजस्व अधिनियम | **प्रकरण संख्या** 79/2024

| | कार्यवाही विवरण | |
|---|---|---|
| | **–:आदेश:–** | |

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हर पटवार हल्का बनोडा तहसील झल्लारा खाता संख्या 2 आराजी नम्बर 1059/107, 1856/289, 192, 1922/288, 198 कुल किता 05 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खाता संख्या 138 आराजी नम्बर 1924/289 कुल किता 01 रकबा 2.3215 हैक्टेयर व खाता संख्या 107 आराजी नम्बर 158, 159, 160, 161 कुल किता 04 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तंर करे।

निर्णय दिनांक 15/01/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)